

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

धीठासीन अधिकारी सुधी ~~हजारी~~ ~~गाड़ी~~ ~~निवासी~~ आर ए.एस.

मुकदमा संख्या - 213/18

श्री प्रतीण कुमरजी श्री कैलाशचन्द्र पौग निवासी - 1068 जैन गली गिया गडी
भयुराडतर प्रदेश - प्रार्थी

वनाम

1- श्री नारायणजी हजारी गाड़ी निवासी - गाड़ी भोइला गाण्डल तणमांडर [कंग] - विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक:- 11-3-18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील मांडल/ ~~नरेडा~~ में उसके खाते / संयुक्त खातों की आराजी नं 520/02 ~~एकवा~~ 08 बिरवा कुल कित 01 एकवा 08 विस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा रावंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगडी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16-8-18 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगडी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अगिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लेण्ड रेतेन्नु एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील मांडल/ ~~नरेडा~~ में स्थित आराजी नम्बर 520/02 कुल कित 01 एकवा 08 विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगडी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगडी किये जाने हेतु भू-अगिलेख निरीक्षक मेजा को 300/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण गोंके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की गोजूदगी में गोंके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगडी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगडी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल/ ~~नरेडा~~ को गोंके लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगडी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल (भीलवाड़ा)